

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/29/18

प्रवेश तिथि
26-02-2018

निर्णय दिनांक
06-06-2018

01. गगन सिंह पुत्र सूबेसिंह यादव, निवासी ग्राम खोहरी उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग
ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर
दिनांक 15-09-2017 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या-
1637/2012

उपस्थित:-

01. श्री श्योरामसिंह नरुका

-वकील अपीलान्ट

02. विभागीय पैरोकार


-रेस्पौडेण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक
15-09-2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0-1637/2012 निलम्बित करने के
आदेश दिये गये हैं, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं
पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।


विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते
हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलम्बित किया
है। निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। परन्तु जिला रसद अधिकारी ने आज
दिनांक तक अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया। अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं
साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का
प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा निलम्बित किया हुआ है जिसे करीब आठ
माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिला रसद अधिकारी अलवर के कार्यालय से
नोटिस क्रमांक 16575 दिनांक 15.9.2017 का अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था, जिसका अपीलान्ट
द्वारा जबाब दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया था। शिकायतकर्ता अपीलान्ट से
द्वेषभावना व रंजिश के चलते झूठी शिकायत की गई है। जांच के दौरान 10 राशन
कार्डधारियान को 660 किग्रा गेहूँ तथा 51.5 लीटर कैरोसीन तेल वास्तविक रूप से
उपभोक्ताओं को देना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर के जिन उपभोक्ताओं के
नाम शिकायत में दर्ज किये उन सभी उपभोक्ताओं ने जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष
अपीलान्ट के पक्ष में शपथ-पत्र पेश कर अपीलान्ट का राशन वितरण कार्य सही व
संतोषजनक होना बताया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बताई गई थी।
जिस तथ्य से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता


जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

नहीं बरती है, जो अनियमितता हुई वह पोर्टल द्वारा की गई जो पोस मशीन से हुई है एवं जो ट्रांजेक्शन में गेहूँ निकला है, उतना ही गेहूँ उपभोक्ताओं को दिया गया है जिसमें अपीलान्ट की कोई बदयान्ति नहीं रही है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृत्ति के नहीं हैं। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरुद्ध तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृत्ति के नहीं हैं और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 15-09-2017 के विरुद्ध दिनांक 26-02-2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 09-02-2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोंडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृत्ति के नहीं हैं। प्राधिकार पत्र को 90 दिवस के बाद भी बहाल नहीं किया, जबकि निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर के जिन उपभोक्ताओं के नाम शिकायत में दर्ज किये उन सभी उपभोक्ताओं ने जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष अपीलान्ट के पक्ष में शपथ-पत्र पेश कर अपीलान्ट का राशन वितरण कार्य सही व संतोषजनक होना बताया गया


जिला मजिस्ट्रेट

है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक 16575 दिनांक 15.9.17 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः पत्रांक 1091 दिनांक 09.02.18 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, अपीलान्ट द्वारा कारण बताओं नोटिस का जबाब 8 माह तक पेश नहीं किया और ना ही जांच में अपीलान्ट द्वारा जांच में सहयोग नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर को तहत पत्रावली पारित निर्णय की प्रति के साथ भिजवाकर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रकरण को यथा सम्भव दौ माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06-06-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला क्लर्क, अलवर
अलवर